न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—419/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/419)

1. श्री गोपाल लाल पुत्र श्री अमरा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम शेषपुरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. काना पुत्र जगन्नाथ
2. छोटी देवी पुत्री अमरा **(तलबी बंद दिनांक 15.10.24)**
3. श्री रामकिशन पुत्र श्री अमरा
4. श्री गोरू पुत्र श्री जग्गा
   समस्त जाति कुमावत, निवासीगण ग्राम शेषपुरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2022 राजस्व वाद संख्या 47/2022(425/2022)

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री सीताराम कुमावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05
5. रेस्पोडेंट संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 08.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 (425/2022) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट/अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 02 लगायत 05 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थना—पत्र को आदेशिका दिनांक 27.06.2022 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण अर्थात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 को नोटिस जारी किए जाने पर अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 04 श्री गोरू की ओर से श्री हेमन्त जैन, अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.07.2022 को अभिभाषक—पत्र प्रस्तुत किया गया, तथा शेष अप्रार्थीगण की इंतजार तामील हेतु दिनांक 21.07.2022 की पेशी नियत की गई, दिनांक 21.07.2022 को भी शेष अप्रार्थीगण की मौका रिपोर्ट एवं तामीली हेतु आगामी पेशी दिनांक 12.08.2022 नियत की गई एवं दिनांक 12.8.2022 एवं 22.8.2022 को

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

न्यायालय कार्य स्थगित होने से आगामी पेशी दिनांक 01.09.2022 नियत की जाकर शेष अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी करते हुए दिनांक 20.9.2022 की पेशी नियत की गई, तत्पश्चात दिनांक 20.9.2022, 17.10.2022 एवं 01.11.2022 को पत्रावली तलबी एवं जवाब हेतु नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 नियत की गई, जिस नियत पेशी दिनांक 22.11.2022 को आदेशिका में उल्लेखितानुसार अपीलांट एवं वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की तलबी पूर्ण हुए बिना जवाब बंद किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.11.2022 को अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी पेशी दिनांक 30.11.2022 नियत की गई, नियत की गई किन्तु पत्रावली आदेश दिनांक 30.11.2022 नियत की गई तथा दिनांक 30.11.2022 को उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 का मूल प्रार्थना–पत्र अपने आदेश दिनांक 30.11.2022 द्वारा एक पक्षीय रूप से स्वीकार किए जाने की आज्ञा पारित कर दी। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 (425/2022) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त निदेशक, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के पद पर सन् 2021 से ही पदस्थापित होकर सेवारत है, जो कि अपने पैतृक ग्राम शेषपुरा, तहसील केकडी निवास नहीं करता है, इस कारण अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 को प्रकरण के नोटिस कभी भी किसी प्रकार से तामील नहीं हुए है तथा ना ही मूल प्रार्थना–पत्र में वर्णित पते पर तामील होना संभव था, जिन सभी तथ्यों के संबंध में विधिवत रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा दिनांक 22.11.2022 को एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 हेतु जारी किए गए नोटिस कभी भी अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 पर तामील नहीं हुए, तथा ना ही पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 को दूरभाष पर सूचित किया गया, तथा ना ही नोटिस दिनांक 16.09.2022 में किस दूरभाष नम्बर पर सूचित किया गया, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही यहां यह भी निवेदन किया जाना उचित एवं पर्याप्त होगा कि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 के सगे भाई अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 03 श्री रामकिशन के मध्य पिताजी श्री अमरा के स्वर्गवास के पश्चात कृषि भूमियों व अन्य संपत्तियों के विभाजन के समय से ही मतभेद होने से बोल–चाल एवं संपर्क नहीं है, इस कारण अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 03 श्री रामकिशन द्वारा भी अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 को प्रकरण के संबंध में सूचित नहीं किया गया। इस प्रकार पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 विधि के आज्ञापक सिद्धांत एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्रों के विपरीत होने से एकपक्षीय एवं विधि–विरूद्ध रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 के आधार पर एकपक्षीय रूप से उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र में सशपथ वर्णित अभिवचनों के तहत स्वीकार किया गया है कि गैर–मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 732 से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य मेड पर 20 फुट चौडा अवस्थित होकर राजस्व मानचित्र में कदीमी रास्ता दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा स्वीकृत अभिवचनों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं था, उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के आशय से विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों की पालना के बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के स्वीकृत अभिवचनों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य मेड से 20 फुट चौडा रास्ता होना मूल प्रार्थना–पत्र के तहत उल्लेखित किया गया है, जबकि खसरा गिरदावरी संवत 2076, 2077, 2078 एवं 2079 में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 730 रकबा 0.49 है0 किस्म चाही उत्तम, जाव उत्तम दर्ज होकर संपूर्ण रकबा 0.49 है0 भूमि पर उडद, तिल, ज्वार, मूंग, ग्वार, चना, सरसों एवं तारामीरा की काश्त किया जाना स्वयं पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया है, इस प्रकार यदि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के अभिवचनो एवं पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 के अनुसार कदीमी रास्ता विद्यमान रहा है, तो संपूर्ण रकबा 0.49 है0 भूमि पर काश्त संभव नहीं है, इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य एवं रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 729 की दक्षिणी दिशा की ओर स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 737 अवस्थित करता है, तथा उसकी दक्षिणी दिशा से लगते हुए खसरा नम्बर 738 की दक्षिणी दिशा पर रिकार्डेड रास्ता विद्यमान करता है, जिस रिकार्डेड रास्ते से खसरा नम्बर 738 की उत्तरी मेड से लगते हुए खसरा नम्बर 729 पर कृषि कार्य हेतु वर्षो से आता–जाता रहा है, परंतु उक्त तथ्यों को छिपाकर वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं हो, एकपक्षीय कार्यवाही के तहत आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में विद्यमान कदीमी रास्ता जो कि राजस्व मानचित्र में तरमीम है, को किसी प्रकार से अवरूद्ध कर दिया जाता है तो उसे खुलवाए जाने के लिए पृथक से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विधिक प्रावधान एवं विधिक प्रक्रिया विद्यमान करते है, परंतु उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा आदेश 06 नियम 02 सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर विधि एवं क्षेत्राधिकार के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 (425/2022) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा संख्या 729 रकबा 0.83 है0 किस्म चाही 2 खड्डा वाके ग्राम शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही वास्ता व सरोकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौडा है, जो गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए सरकारी सिवायचक खसरा नम्बर 733 में से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी खसरा नम्बर 730 रकबा 0.49 है0 किस्म चाही उत्तम व जाव उत्तम एंव अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी उत्तम की बीच की मेड पर स्थित है, एवं प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता उक्त खसरा नम्बर 732 व खसरा नम्बर 733 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर मौजूद है। प्रार्थना पत्र के साथ कदीमी रास्ते को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जिसे अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.6.2022 को हकाई करके बंद कर दिया, जिससे प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात में जाने आने का एक मात्र कदीमी रास्ता बंद हो गया और प्रार्थी को उक्त आराजीयात में फसल बोने के लिए जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से आराजीयात बिना काश्त ही पड़ी रह जाएगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से काफी मिन्नते की कि उक्त रास्ते को बंद मत करों लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने। प्रार्थी को उक्त एक मात्र कदीमी रास्ता बंद होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त कदीमी रास्ता जो कि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर स्थित है जो करीब 20 फुट चौडा है जिसे अप्रार्थीगण ने हकाई कर अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी ने पुनः दिनांक 15.6.2022 को अप्रार्थीगण से रास्ता अवरूद्ध नहीं करने संकरा नहीं करने एवं बैलगाडी, ट्रेक्टर पशुओं आदि के आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने धमकियां दी व लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गए। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर स्थित कदीमी रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर, बेलगाडी व जानवर वगैरह आने जाने में बाधा नहीं पहुंचाए। वर्णित आराजी में आने जाने का वर्तमान में विद्यमान एक मात्र कदीमी रास्ता जो 20 फुट चौडा है को अवरूद्ध कर रखा है को खुलासा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में भी रास्ता इंद्राज खसरा नम्बर 733 व खसरा नम्बर 730 व खसरा नम्बर 734 की मध्य की मेड पर करवाया जाना आवश्यक है एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र में रास्ता दिए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए आर0टी0एक्ट में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 04 के अभिभाषक भी उपस्थित हुए किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया है तथा अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवायी गयी, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत् तहसीलदार, केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की है तथा मौके पर अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए तथा मौका रिपोर्ट गॉव के अन्य मौतबिरान के समक्ष तैयार करके, पढ़ कर व सभी के हस्ताक्षर करवा कर तैयार की गई है तथा जो रास्ता बाबत् आदेश पारित किये है जो धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रमुख तत्वों के अनुसार निकटतम व लघुत्तम एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में नियत दिनांक 5.7.2022 पश्चात अप्रार्थी की इंतजार तामील हेतु दिनांक 21.7.2022 की पेशी नियत की गई। उक्त प्रकरण में आगामी दिनांक 12.08.2022, 22.08.2022, व 01.09.2022 नियत की गई। दिनांक 01.09.2022 को शेष अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये तथा आगामी पेशी 20.09.2022 नियत की गई। दिनांक 20.09.2022 को अप्रार्थी ने जवाब हेतु अवसर चाहा तथा पत्रावली पेशी दिनांक 17.10.2022 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली आगामी दिनांक 17.10.2022, 01.11.2022 हेतु नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 नियत की गई। दिनांक 22.11.2022 को अपीलांट व वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 की तलबी पूर्ण हुए बिना जवाब के प्रकरण में बहस सुन कर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 29.11.2022 नियत कर आगामी पेशी दिनांक 30.11.2022 में प्रकरण पर निर्णय पारित कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 को समुचित जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 हेतु भी पत्रावली पर कहीं पर भी अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 को कोई नोटिस संबंधित सूचित किया गया हो यह आदेशिका में अंकित नहीं है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 की अनुपस्थिति में दिनांक 21.09.2022 को एकपक्षीय रूप से बनाई गई है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है तथा मौका रिपोर्ट भी उनकी अनुपस्थिति में ही तैयार की गई है। विधि अनुसार नियम 69 के तहत् आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू–अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा। वर्तमान प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं अर्थात पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 (425/2022) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में दिनांक 29.11.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

08/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner